

# प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 13.11.2024

## कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से जमीन बैनामा करने के आरोप में 01 नफर वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में 30नि0 हरिशंकर यादव मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 624/2024 धारा 419,420,467,468,504,506,120( b) भादवि व मु0अ0सं0 629/2024 धारा 419,420,467,468,471,504,506, 120( b) भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित वाँछित अभियुक्त राम अद्या निषाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी को पूर्व में बिक्री हुयी जमीन को पुनः अवैध रूप से बिक्री कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राम अद्या निषाद पुत्र हुबलाल निषाद निवासी मुर्तनवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 624/2024 धारा 419,420,467,468,504,506,120( b) भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 629/2024 धारा 419,420,467,468,471,504,506, 120( b) भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 हरिशंकर यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 अजय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. कां0 चन्दन वर्मा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर